

मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 2-2/2010 / सात-एक
प्रति,

भोपाल, दिनांक 18 / 12 / 2014

जिला कलेक्टर (समस्त)
मध्यप्रदेश ।

विषय:- राजस्व वसूली काल में वसूली भृत्य (प्रोसेस सर्वरों) की नियुक्ति ।

बुक ऑफ फाइनेशियल पावर 1995 वॉल्युम -2 के अनुक्रमांक 18 के अनुसार राजस्व वसूली अवधि (छः माह) के लिये प्रतिवर्ष राजस्व वसूली भृत्य (प्रोसेस सर्वरों) के पद निर्मित करने के लिये अधिकार जिला कलेक्टर को है । राज्य शासन द्वारा मितव्ययिता निर्देशों का शिथिलीकरण करते हुए जिलों में वसूली भृत्य (प्रोसेस सर्वरों) की नियुक्ति दिनांक 01.1.2015 से दिनांक 30.6.2015 तक (छः माह) के लिये वेतनमान रूपये 4440-7440 एवं ग्रेड वेतन 1300-00 तथा देय मंहगाई भत्ता पर करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।
2/- यह स्वीकृति महालेखाकार म0प्र0ग्वालियर को पृष्ठांकित की जाती है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सुमन रायकवार)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
भोपाल, दिनांक / 12 / 2014

क्रमांक एफ 2-2/2010 / सात-एक
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
3. प्रमुख राजस्व आयुक्त, भोपाल ।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग